न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 780/2024
अनवान : –

1. रोहित कुमार पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. केशराराम पुत्र दलुराम जाति जाट साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
3. सुलतान पुत्र भैरा जाति जाट साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

5. केशरदेव पुत्र भीयाराम उर्फ भीमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
6. बिरूराम पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
7. भागचन्द पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
8. मेदराम पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
9. राजवीर पुत्र भीयाराम उर्फ भीमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
10. रामकरण पुत्र भीयाराम उर्फ भीमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
11. विनोद कुमार पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
12. शेराराम पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
13. समेरसिंह पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
14. सोहनलाल पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक:** 17/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 132/134 की कुल 10.2940 हैक्ट भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 265/270 की कुल 7.5880 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:34:10 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पूर्वजों के द्वारा बाहमी बंटवारा करके काश्त करते आ रहे है तथा मुताबिक बाहमी बंटवारा के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अनुसार ही भूमि अलग अलग नाम दर्ज हो चुकी है लेकिन वादग्रस्त भूमि का नक्शा करते समय वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 की भूमि कब्जा काश्त में उसक भूमि का नक्शा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दिया गया है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त की भूमि का नक्शा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 के नाम दर्ज कर दिया गया है जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 के काश्तकारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नक्शा मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार ही दर्ज करवाना चाहते है जो की निम्न प्रकार से है– रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 265/270 के ख0न0 348/2 की 7.5880 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 132/134 के ख0न0 348/1 की 9. 4720 हैक्ट भूमि में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जबकि सदामत से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ख0न0 348/2 की 9.4720 हैक्ट भूमि पर काबिज है जो की सदामत से खरीद के समय से लेकर काबिज है जबकि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने काश्त नक्शा तरमीम करते वक्त उल्टा नक्शा तरमीम कर दिया व उल्टे ख0न0 डाल दिये व वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादीगण के एवं प्रतिवादीगण की वादीगण के नाम कर दी। उक्त वाद भूमि बाबत खाता विभाजन का निर्णय दिनांक 07.04.2014 को हुआ जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का नोटेरी पब्लिक शुदा राजीनामा हुआ था एवं मुताबिक राजीनामा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पासा ख0न0 348/2 की दक्षिण साईड की 9.4720 हैक्ट भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की उत्तरी साईड की ख0न0 348/1 की 7.5880 हैक्ट भूमि दर्ज करने बाबत हुआ था वादीगण इसी अनुसार नक्शा तरमीम करवाना चाहते है। वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को कब्जा काश्त के अनुसार उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे कब्जा काश्त के अनुसार दर्ज किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। तरतीबी प्रतिवादीगण को अधिवक्ता वादीगण ने तर्क अंतिम किये। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति राजीनामा/समझौता पेश किये जो की शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजों के द्वारा बाहमी बंटवारा करके काश्त करते आ रहे है तथा मुताबिक बाहमी बंटवारा के अनुसार ही भूमि अलग अलग नाम दर्ज हो चुकी है लेकिन वादग्रस्त भूमि का नक्शा करते समय वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 की भूमि कब्जा काश्त में उसक भूमि का नक्शा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दिया गया है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त की भूमि का नक्शा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 के नाम दर्ज कर दिया गया है जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 के काश्तकारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नक्शा मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार ही दर्ज करवाना चाहते है जो की निम्न प्रकार से है– रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 265/270 के ख0न0 348/2 की 7.5880 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 132/134 के ख0न0 348/1 की 9.4720 हैक्ट भूमि में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जबकि सदामत से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ख0न0 348/2 की 9.4720 हैक्ट भूमि पर काबिज है जो की सदामत से खरीद के समय से लेकर काबिज है जबकि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने काश्त नक्शा तरमीम करते वक्त उल्टा नक्शा तरमीम कर दिया व उल्टे ख0न0 डाल दिये व वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादीगण के एवं प्रतिवादीगण की वादीगण के नाम कर दी। उक्त वाद भूमि बाबत खाता विभाजन का निर्णय दिनांक 07.04.2014 को हुआ जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का नोटेरी पब्लिक शुदा राजीनामा हुआ था एवं मुताबिक राजीनामा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पासा ख0न0 348/2 की दक्षिण साईड की 9.4720 हैक्ट भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की उत्तरी साईड की ख0न0 348/1 की 7.5880 हैक्ट भूमि दर्ज करने बाबत हुआ था वादीगण इसी अनुसार नक्शा तरमीम करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:34:10 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस प[illegible] गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 132/134 की कुल 10.2940 हैक्ट भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के खाता स0 265/270 की कुल 7.5880 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वजों के द्वारा बाहमी बंटवारा करके काश्त करते आ रहे है तथा मुताबिक बाहमी बंटवारा के अनुसार ही भूमि अलग अलग नाम दर्ज हो चुकी है लेकिन वादग्रस्त भूमि का नक्शा करते समय वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 की भूमि कब्जा काश्त में उसक भूमि का नक्शा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दिया गया है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त की भूमि का नक्शा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 के नाम दर्ज कर दिया गया है जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 के काश्तकारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नक्शा मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार ही दर्ज करवाना चाहते है जो की निम्न प्रकार से है– रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 265/270 के ख0न0 348/2 की 7.5880 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 132/134 के ख0न0 348/1 की 9.4720 हैक्ट भूमि में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जबकि सदामत से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ख0न0 348/2 की 9.4720 हैक्ट भूमि पर काबिज है जो की सदामत से खरीद के समय से लेकर काबिज है जबकि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने काश्त नक्शा तरमीम करते वक्त उल्टा नक्शा तरमीम कर दिया व उल्टे ख0न0 डाल दिये व वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादीगण के एवं प्रतिवादीगण की वादीगण के नाम कर दी। उक्त वाद भूमि बाबत खाता विभाजन का निर्णय दिनांक 07.04.2014 को हुआ जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का नोटेरी पब्लिक शुदा राजीनामा हुआ था एवं मुताबिक राजीनामा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पासा ख0न0 348/2 की दक्षिण साईड की 9.4720 हैक्ट भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की उत्तरी साईड की ख0न0 348/1 की 7.5880 हैक्ट भूमि दर्ज करने बाबत हुआ था वादीगण इसी अनुसार नक्शा तरमीम करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अधिवक्ता वादीगण ने तरतीबी प्रतिवादीगण को तर्क अंकित किया है वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि का राजीनामा किया हुआ है अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के ख0न0 348/2 की दक्षिण साईड की 9.4720 हैक्ट भूमि के वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम एवं ख0न0 348/1 की उत्तरी साईड की 7.5880 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कर नक्शा तरमीम की घोषणा की जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:34:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 780/2024

अनवान : –

1. रोहित कुमार पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. केशराराम पुत्र दलुराम जाति जाट साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
3. सुलतान पुत्र भैरा जाति जाट साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

5. केशरदेव पुत्र भीयाराम उर्फ भीमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
6. बिरूराम पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
7. भागचन्द पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
8. मेदराम पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
9. राजवीर पुत्र भीयाराम उर्फ भीमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
10. रामकरण पुत्र भीयाराम उर्फ भीमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
11. विनोद कुमार पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
12. शेराराम पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
13. समेरसिंह पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।
14. सोहनलाल पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 780 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के ख0न0 348/2 की दक्षिण साईड की 9.4720 हैक्ट भूमि के वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम एवं ख0न0 348/1 की उत्तरी साईड की 7.5880 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कर नक्शा तरमीम की घोषणा की जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:34:10 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर